

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ आर्ग, मुंबई
दिनांक - 110067

सचिका सं. C/COM/R/2018/00433

दिनांक 01.05.2018

श्री संजय कुमार सिंह,

सेवा में,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक आपका दिनांक 17.04.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 24.04.2018 को डायरेक्ट रूआ (डायरी सं. 125638) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 25.04.2018 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि आपने अपने आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (घ) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है, अतः आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ है।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अधीनस्थ अधिकरण है। यदि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक प्रतिकरण/विभाग द्वारा निधारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हो तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अधीनस्थ अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें। अगर प्रथम अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी निधारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है या प्रथम अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हो तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील प्रपत्र के साथ लोक प्रतिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रेक्षाहित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिसमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अधीनस्थ अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), परवान प्रपत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का कमांक (index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

एक प्रथम अपील/द्वितीय अपील आवेदन में केवल एक ही आर.टी.आई. का उल्लेख करें। विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो <http://cit.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf> सहित पब्लिक डोमेन (डॉटनेट) में आसानी से उपलब्ध है, का अवलोकन करें।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अगर सचिव एवं प्रथम अधीनस्थ अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ आर्ग, मुंबई, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है।

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,
दूरभाष - 011-26172690